सूचना का अधिकार

राजस्थान सरकार
प्रशासनिक सुधार विभाग
सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ

क्रमांक प. 20(10)प्रसु/सूअप्र/2011 जयपुर, दिनांक 16-12-2011

परिपत्र

आपका ध्यान सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा 7 व व 19 की ओर आकर्षित किया जा रहा है:–

"**अधिनियम की धारा 7** के अनुरूप धारा 5 की उप–धारा (2) के परन्तुक या धारा 6 की उप–धारा(3) के परन्तुक के अधीन रहते हुए राज्य लोक सूचना अधिकारी, धारा 6 के अधीन अनुरोध प्राप्त होने पर, यथासंभव शीघ्र और किसी भी दशा में, अनुरोध की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर सूचना देगा या धारा 8 और 9 में विनिर्दिष्ट किसी कारण से अनुरोध को नामंजूर करेगा।"

" **अधिनियम की धारा 19 (अपील)** में स्पष्ट प्रावधान है कि आवेदक को सूचना निर्धारित 30 दिवस में प्राप्त न होने अथवा प्राप्त सूचना से सन्तुष्ट न होने की जैसी भी स्थिति हो आवेदक को प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने का अधिकार प्राप्त है। प्रथम अपील अधिकारी को अपील पर 30 दिवस में निर्णय पारित करना चाहिये। अपवाद के मामलों में अपील अधिकारी इसके निपटान के लिए 45 दिन का समय ले सकते हैं किन्तु अपील अधिकारी को चाहिये कि वह विलम्ब के कारणों को लिखित रूप में दर्ज करे।

अतः सभी लोक सूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकागण से अनुरोध है कि आवेदक के अनुरोध का निपटारा व प्रथम अपील का निपटारा निशिचित समयावधि में किया जाना सुनिश्चित करावें।

(आर.पी.जैन)
प्रमुख शासन सचिव

समस्त अति. मुख्य सचिव/
प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव
समस्त संभागीय आयुक्त
समस्त जिला कलक्टर
समस्त जिला कमिश्नर/पुलिस अधीक्षक को सूचनार्थ

सूचना का अधिकार

राजस्थान सरकार
प्रशासनिक सुधार विभाग
सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ

कमांक–प. 3(227)प्रसु/सूअप्र/2010 जयपुर, दिनांक 16-12-2011

परिपत्रादेश

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 को लागू हुए 6 वर्ष पूरे हो चुके हैं। किन्तु 6 वर्ष से अधिक समय व्यतीत होने पर भी प्रायः देखा गया है कि अधिनियम के महत्वपूर्ण प्रावधानों की पूर्ण पालना लोक प्राधिकरणों द्वारा अक्षरशः नहीं हो रही है। आपका ध्यान विशेष रूप से अधिनियम के निम्न प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जा रहा है:–

धारा–4 (1) प्रत्येक लोक प्राधिकारी– (क) अपने सभी अभिलेखों को सम्यक रूप से सूचीपत्रित और अनुक्रमणिकाबद्ध ऐसी रीति और रूप में रखेगा, जो इस अधिनियम के अधीन सूचना के अधिकार को सुकर बनाता है और सुनिश्चित करेगा कि ऐसे सभी अभिलेख, जो कंप्यूटरीकृत किए जाने के लिए समुचित है, युक्तियुक्त समय के भीतर और संसाधनों की उपलब्धता के अधीन रहते हुए कंप्यूटरीकृत और विभिन्न प्रणालियों पर संपूर्ण देश में नेटवर्क के माध्यम से संबंध है, जिससे कि ऐसे अभिलेख तक पहुंच को सुकर बनाया जा सके;

धारा–4 (1) (ख) के अनुरूप अधिनियम के अधिनियमन से एक सौ बीस दिन के भीतर प्रत्येक लोक प्राधिकरण 17 बिन्दुओं की सूचना को प्रकाशित करेगा/वेबसाईट पर उपलब्ध करवायेगा तथा इन प्रकाशनों को प्रत्येक वर्ष में अद्यतम रखेगा। विभाग द्वारा देखा गया है कि अधिनियम लागू होने के 6 वर्ष के बाद भी आदिनांक तक कुछ लोक प्राधिकरणों द्वारा अधिनियम के इस प्रावधान के अनुरूप 17 बिन्दुओं की सूचना को या तो प्रकाशित ही नहीं किया गया है या प्रकाशित किया भी गया है तो उसे अधिनियम के अनुरूप के अनुरूप पूर्ण रूप से प्रकाशित नहीं किया गया है या उसे अद्यतन नहीं किया जा रहा है।

आपसे अनुरोध है कि आपके लोक प्राधिकरण व आपके अधीन विभागाध्यक्ष/बोर्ड/निगम/संस्थाओं द्वारा उक्त प्रावधानों की अनुपालना के निर्देश प्रदान कर पालना अविलम्ब सुनिश्चित करावें। यहां यह उल्लेखनिय है कि निकट भविष्य में माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा सूचना के अधिकार के संबंध में विभागों की समीक्षा किया जाना संभावित है।

(आर.पी.जैन)
प्रमुख शासन सचिव

समस्त अति. मुख्य सचिव/
प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव
समस्त संभागीय आयुक्त
महानिदेशक, पुलिस
समस्त जिला कलक्टर
पुलिस आयुक्त, जयपुर/जोधपुर
एवं समस्त जिला पुलिस अधीक्षक

सूचना का अधिकार

राजस्थान सरकार
प्रशासनिक सुधार विभाग
सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ

क्रमांक प. 20(10)प्रसु/सूअप्र/2011 जयपुर, दिनांक 16-12-2011

परिपत्र

मुख्य सूचना आयुक्त, राजस्थान सूचना आयोग की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक में विचार रखा गया है कि:–

"सूचना के अधिकार अधिनियम के आवेदन को स्वीकार करने हेतु एकल खिड़की/टेलीफोन/इंटरनेट के माध्यम के उपयोग के लिए नियमों में आवश्यक परिवर्तन किया जाए, ताकि विभिन्न विभागों के लोक सूचना अधिकारियों द्वारा एकल खिड़की इत्यादि के माध्यम से आवेदन स्वीकार किए जा सकें"

कृपया उक्त के विषय में आपके सुझाव/प्रस्ताव एक सप्ताह में भिजवाने की व्यवस्था करें। जिससे प्रस्ताव पर उपयुक्त निर्णय लिया जा सके।

(आर.पी.जैन)
प्रमुख शासन सचिव

समस्त अति. मुख्य सचिव/
प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव
समस्त संभागीय आयुक्त
समस्त जिला कलक्टर
समस्त जिला कमिश्नर/पुलिस अधीक्षक को सूचनार्थ